

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

सीन अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

क्रमा संख्या- 25/24 प्रा०पत्र

श्री रामेश्वर लाल 5/0 श्री मोहन लाल वैरवा निवासी- माण्डल तहसील-माण्डल (कैर) - प्रार्थी

बनाम

श्री किशन 5/0 श्री रामेश्वर उर्फ रामेश माली निवासी- माण्डल तहसील-माण्डल (कैर) (सुल्हाडित प्रा०पत्र) - विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111- 128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :- 19-3-24


:: आदेश ::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल I तहसील माण्डल में उसके खाते युक्त खाते की आराजी न० 10089/4334 कुल किता 01 रकबा 0-2529 हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीमा चिन्ह नही आये दिनर सीमा संबंधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09-02-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को क्रमार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से आधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो ब्रते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।


:: आदेश ::

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की न० 10089/4334 कुल किता 01 रकबा 0-2529 हैक्टेयर चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 500/- रूपये /- र फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मोके व कब्जे की यस्थास्थिति को रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी के जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल



पि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल